CONFIDENTIAL

MEMORANDUM

MINISTER INCHARGE	CHIEF MINISTER, HARYANA
ADMINISTRATIVE SECRETARY	ADDITIONAL CHIEF SECRETARY TO GOVT. HARYANA, VIGILANCE DEPARTMENT.

Subject :- ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT OF THE VIGILANCE DEPARTMENT HARYANA FOR THE YEAR 2016-17.

The Annual Administrative Report of the Vigilance Department for the Year 2016-17, alongwith its Review & Critique, is submitted before the Council of Ministers Haryana for their approval in accordance with the Government instructions contained in U.O. No. 16/22/2005-4PP, dated 4th May, 2005.

2. Prior approval of the Hon'ble Chief Minister Haryana has been obtained for placing this matter before the Council of Ministers, Haryana.

(Navraj Sandhu)
Additional Chief Secretary to Govt. Haryana,
Vigilance Department

Dated Chandigarh,
the 5-9-2018

REVIEW OF THE REPORT OF THE VIGILANCE DEPARTMENT, HARYANA FOR THE YEAR 2016--2017.

This report on the working of the Vigilance Department relates to the period from April, 2016 to March, 2017.

At the beginning of the year as on 1.4.2016, 208 enquiries were pending. During the year from 1.4.2016 to 31.3.2017, 87 new enquiries were registered on the orders of Government, 03 enquiries were registered on the orders of Hon'ble Lokayukta, Haryana, 1 enquiry was registered on the orders of Hon'ble High Court and 26 enquiries were registered against class-III employees on the orders of Director General, State Vigilance Bureau, Haryana. Out of total 325 (208+87+3+1+26) enquiries, State Vigilance Bureau finalized 68 enquiries during this period. Allegations/charges were proved in 35 enquiries while allegations in 33 enquiries were not proved. Reports in 26 enquiries were sent to the Administrative Departments concerned for taking departmental action. Criminal cases were recommended in 9 enquiries. At the end of year, 257 enquiries were pending with the State Vigilance Bureau.

During this period, 99 cases were registered against officers/officials, who were caught red-handed while accepting illegal gratification, 7 cases were registered as per decision of Government in vigilance enquiries, 8 cases were registered on the complaints, 1 case was registered on source report. As such, total 115 criminal cases were registered under various sections of Prevention of Corruption Act–1988 and the Indian Penal Code-1860.

On 1.4.2016, 77 enquiries/special checking reports were pending with the Technical Wing of the State Vigilance Bureau. 68 new enquiries/special checkings were entrusted to the wing during the year for technical report. Out of total 145 enquiries/special checkings, 59 enquiries/special checking reports were finalized by the Technical Wing. At the end of year, 86 enquiries/special checking reports were pending for technical opinion.

During the year, the Deputy Collector, Irrigation posted in State Vigilance Bureau conducted checking of water services divisions and detected recovery of Rs.36,95,480/- as dues of Irrigation Department.

The Inquiry Officer Vigilance, Haryana completed 24 departmental enquiries during this period.

The Vigilance Department continued its activities vigorously during the year to eradicate corruption. The achievements of the department are satisfactory.

During this period Shri D.S.Dhesi, IAS held the charge as Administrative Secretary of Vigilance Department.

(Navraj Sandhu)
Additional Chief Secretary to Govt. Haryana,
Vigilance Department.

Dated Chandigarh,
the 5-9-2018

CRITIQUE OF THE REPORT OF VIGILANCE DEPARTMENT, HARYANA FOR THE YEAR 2016-2017.

In the year 2016-2017, as many as 68 enquiry reports were finalized. In 26 cases, the enquiry reports were forwarded to the Administrative Departments concerned for taking departmental action against delinquent officers/officials whereas in the year 2015-2016, 74 enquiries were finalized and 27 enquiry reports were forwarded to the concerned departments for taking departmental action.

During the year 2016-2017, out of total 145 special checkings, 59 special checking reports were finalized by the Technical Wing of State Vigilance Bureau whereas during the year 2015-16, out of total 139 special checkings, 62 special checking reports were finalized by the Technical Wing of State Vigilance Bureau.

During the year 2016-2017, 115 cases were registerecd under various sections of Prevention of Corruption Act-1988 and the Indian Penal Code-1860 against officers/officials of various departments whereas in year 2015-16, 190 cases were registered under various sections of Prevention of Corruption Act-1988 and the Indian Penal Code-1860 against officers/officials of various departments.

During the year 2016-17, Deputy Collector, Irrigation posted in the State Vigilance Bureau detected recovery of Rs.36,95,480/- as dues of the Irrigation Department whereas during the year 2015-16, recovery of Rs. 25,59,693/- was detected as dues of the Irrigation Department.

(Navraj Sandhu)
Additional Chief Secretary to Govt. Haryana,
Vigilance Department .

Dated Chandigarh,
the 5-9-2018

गोपनीय

ज्ञापन

कार्यभारी मंत्री — मुख्य मंत्री, हरियाणा।

प्रशासकीय सचिव — अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग।

विषय :— चौकसी विभाग, हरियाणा की वर्ष 2016–2017 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट।

———

चौकसी विभाग की वर्ष 2016–2017 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट, समीक्षा तथा समालोचना सहित, हरियाणा सरकार के अशाः क्रमांक 16/22/2005–4 पी.पी., दिनांक 4 मई, 2005 की हिदायतों के अनुसार मन्त्रिपरिषद् के सम्मुख उनके अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

इस मामले को मन्त्रि–परिषद् के सम्मुख रखने हेतु मान्नीय मुख्य मन्त्री की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली गई है।

दिनांक, चण्डीगढ़ 5.9.2018

(नवराज संधु)
अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार,
चौकसी विभाग।

चौकसी विभाग, हरियाणा के कार्य की वर्ष 2016–2017 की रिपोर्ट की समीक्षा।

...

चौकसी विभाग, हरियाणा द्वारा सम्पन्न कार्य की यह रिपोर्ट मास अप्रैल, 2016 से मार्च 2017 तक की अवधि से सम्बन्धित है।

वर्ष के आरम्भ में 1.4.2016 को 208 जांचे लम्बित थी। इस वर्ष 1.4.2016 से 31.3.2017 तक 87 नई जांचे सरकार के आदेशों से, 3 जांचे माननीय लोकायुक्त, हरियाणा के आदेशानुसार, 1 जांच माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से तथा 26 जांचे तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के विरूद्ध महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो के आदेशानुसार दर्ज की गई। वर्ष के दौरान कुल 325 (208+87+3+1+26) जांचों में से राज्य चौकसी ब्यूरो ने 68 जांचों का निपटारा किया। 35 जांचों में आरोप सारपूर्ण रहे जबकि 33 जांचें निस्सार पाई गई। 26 जांचों में रिपोर्ट सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों को विभागीय कार्यवाही करने हेतु भेजी गई। 9 जांचों में अपराधिक मुकद्दमें दर्ज करने का सुझाव दिया गया। इस प्रकार वर्ष के अन्त में राज्य चौकसी ब्यूरो के पास 257 जांचें लम्बित रह गई।

इस अवधि के दौरान 99 मुकदमें अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने पर दर्ज किये गए, 7 मुकदमें सरकार द्वारा जाचों में लिए गये निर्णय के आधार पर, 8 मुकदमें शिकायतों पर तथा 1 मुकदमा आसूचना रिपोर्ट के आधार पर दर्ज किया गया। इस प्रकार कुल 115 आपराधिक मुकदमें भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम–1988 एवं भारतीय दण्ड़ संहिता–1860 की धाराओं के तहत दर्ज किये गये।

दिनांक 1.4.2016 को राज्य चौकसी ब्यूरो के तकनीकी विंग के पास 77 जांचें/स्पैशल चैकिंग रिपोर्ट लम्बित थी। इस वर्ष के दौरान 68 नई जांचें/स्पैशल चैकिंग रिपोर्ट तकनीकी जांच हेतु तकनीकी विंग को सौंपी गई। इन 145 जांचों/तकनीकी रिपोर्टों में से तकनीकी विंग द्वारा 59 जांचों/तकनीकी रिपोर्टों का निपटारा किया गया। इस प्रकार वर्ष के अंत में तकनीकी विंग के पास 86 जांचें/तकनीकी रिपोर्ट तकनीकी राय हेतु लम्बित रह गई।

इस अवधि के दौरान राज्य चौकसी ब्यूरो में कार्यरत उप कलैक्टर, सिंचाई द्वारा जल सेवा मण्डलों का निरीक्षण किया गया तथा सिंचाई विभाग की 36,95,480/–रूपये की बकाया राशि की वसूली का पता लगाया गया।

जांच अधिकारी चौकसी, हरियाणा ने इस अवधि में 24 विभागीय जांचों को पूर्ण किया।

रिपोर्टाधीन वर्ष में चौकसी विभाग ने भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये अपनी गतिविधियों को उत्साहपूर्वक जारी रखा। चौकसी विभाग की उपलब्धियां संतोषजनक रही ।

इस अवधि में श्री डी0एस0ढेसी, भा.प्र.से. चौकसी विभाग के प्रशासकीय सचिव रहे।

नवराज संधु

(नवराज संधु)
अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार,
चौकसी विभाग।

दिनांक, चण्डीगढ़ 5.9.2018

चौकसी विभाग हरियाणा की वर्ष 2016–2017 की रिपोर्ट पर समालोचना ।

.....

वर्ष 2016–2017 में 68 जांच रिपोर्टों को अन्तिम रुप दिया गया। इनमें से 26 केसों में जांच रिपोर्टों को सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों को दोषी अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने के लिये भेजी गई, जबकि वर्ष 2015–2016 में 74 जांच रिपोर्टों को अन्तिम रुप दिया गया और 27 जांच रिपोर्टों को सम्बन्धित विभागों को विभागीय कार्यवाही करने के लिये भेजी गई थी।

वर्ष 2016–2017 में राज्य चौकसी ब्यूरो के तकनीकी विंग द्वारा कुल 145 तकनीकी रिपोर्टों में से 59 तकनीकी रिपोर्टों का निपटारा किया गया जबकि वर्ष 2015–16 राज्य चौकसी ब्यूरो के तकनीकी विंग द्वारा कुल 139 तकनीकी रिपोर्टों में से 62 तकनीकी रिपोर्टों का निपटारा किया गया था।

वर्ष 2016–2017 में राज्य चौकसी ब्यूरो द्वारा भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम–1988 एवं भारतीय दण्ड़ संहिता–1860 की धाराओं के तहत 115 मुकदमें विभिन्न विभागों के विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध दर्ज किये गये जबकि वर्ष 2015–16 में राज्य चौकसी ब्यूरो द्वारा भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम–1988 एवं भारतीय दण्ड़ संहिता–1860 की धाराओं के तहत 190 मुकदमें विभिन्न विभागों के विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध दर्ज किये गये थे।

वर्ष 2016–2017 के दौरान राज्य चौकसी ब्यूरो में कार्यरत उप कलैक्टर, सिंचाई द्वारा सिंचाई विभाग की 36,95,480/–रूपये की बकाया वसूली का पता लगाया गया जबकि वर्ष 2015–16 में राज्य चौकसी ब्यूरो में कार्यरत उपकलैक्टर, सिंचाई द्वारा सिंचाई विभाग की 25,59,693/–रूपये की बकाया राशि की वसूली का पता लगाया गया था।

दिनांक, चण्डीगढ़ 5.9.2018

नवराज संधु

(नवराज संधु)
अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार,
चौकसी विभाग।

चौकसी विभाग, हरियाणा की वर्ष 2016–2017 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट।

परिचय

सरकारी विभागों तथा गैर सरकारी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार को समाप्त करने तथा स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने की दृष्टि से चौकसी विभाग ने 1–4–2016 से 31–3–2017 तक की अवधि के दौरान अपनी गतिविधियों को उत्साहपूर्वक जारी रखा।

2. चौकसी विभाग का मुख्य कर्त्तव्य भ्रष्टाचार के विरुद्ध विभिन्न विभागों द्वारा कार्यवाही करने हेतु उनकी सहायता करना है। इस ध्येय की पूर्ति के लिये समाज विरोधी उन तत्त्वों को, जो भ्रष्टाचार को पैदा करने में सहायक हो सकते हैं, समाप्त करने हेतु चौकसी विभाग द्वारा आवश्यक साधन तथा उपाय जुटाये जाते हैं।

3. भ्रष्टाचार निवारण कार्य निम्नलिखित कानूनों/नियमों के अंतर्गत किया जाता है:–

1. घूसखोरी, गबन/दुरुपयोग, धोखेबाजी इत्यादि के मामलों में भारतीय दण्ड संहिता–1860।
2. भ्रष्टाचार रोक अधिनियम –1988 ।
3. हरियाणा सिविल सेवायें (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1987 ।
4. अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियमावली, 1969 ।
5. सरकारी कर्मचारी (आचरण) नियमावली, 1966 ।
6. आचरण तथा नियंत्रण से सम्बन्धित विभागीय नियम तथा विनियम ।

4. चौकसी विभाग चूककर्त्ता अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार और अनुशासनिक कार्यवाही से सम्बन्धित मामले में सभी प्रशासनिक विभागों को जांच रिपोर्ट आगामी कार्यवाही हेतु भेजता रहा है।

5. प्रचलित कार्यविधि:–

जिन शिकायतों पर प्रशासकीय कार्यवाही अपेक्षित हो, उन्हें सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों को निपटाने हेतु भेज दिया जाता है। कुछ शिकायतों को आमतौर पर सम्बन्धित अधिकारियों की हैसियत, ख्याति और योग्यता आदि के बारे में प्रशासनिक विभागों को उनकी टिप्पणी, यदि कोई हो तो, के लिये भेजा जाता हैं, ऐसी शिकायतें जिनमें निश्चित आरोप तथा पुष्टि का डाटा हो, उन्हें महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा को जांच के लिये भेजा जाता है। विभिन्न प्रशासनिक विभागों से जांच हेतु प्राप्त हुई शिकायतें भी राज्य चौकसी ब्यूरो को जांच के लिये भेजी जाती हैं। कुछ मामलों में शिकायतकर्त्ताओं को उन द्वारा लगाये गये आरोपों की पुष्टि में शपथ–पत्र देने के लिये कहा जाता है तांकि ऐसे लोगों द्वारा अधिकारियों/कर्मचारियों को नाज़ायज तंग न किया जाये, जो सरकारी कर्मचारियों के विषय में स्वाभाविक तौर पर तथा व्यक्तिगत कारणों से निराधार शिकायत करने का प्रयास करते हैं। राज्य चौकसी ब्यूरो से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर सचिवालय स्तर पर उनका परीक्षण किया जाता है, और आगामी कार्यवाही बारे निर्णय लिया जाता है उसके बाद जांच रिपोर्ट सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग को चौकसी विभाग द्वारा लिये गये निर्णयानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के लिये भेज दी जाती है। जिन मामलों में राज्य चौकसी ब्यूरो की छानबीन करने से किसी अभिसाक्षि अपराध का पता चलता है और अपराधियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का निर्णय लिया जाता है, उनमें राज्य चौकसी ब्यूरो को मुकद्दमा दर्ज करने के लिये लिखा जाता है।

यदि न्यायालय द्वारा अपराधियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के दोष सिद्ध हो जाते हैं तो उन्हें सेवा से मुक्त करना उचित समझा जाता है, दूसरे मामलों में विभागीय कार्यवाही की जाती है।

संगठनः–

चौकसी विभाग का संगठन ढांचा परिशिष्ट–I में दर्शाया गया है। यह संगठन के प्रत्येक विंग के स्वीकृत स्टाफ को सूचित करता है। चौकसी विभाग के विभिन्न संगठन रिपोर्टाधीन वर्ष में इस प्रकार कार्य करते रहे है :––

(1) सचिवालय विंग

रिपोर्टाधीन वर्ष में चौकसी विभाग मे 767 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिनमें 87 शिकायतें घूस/भ्रष्टाचार आदि के आरोप होने के कारण चौकसी विभाग द्वारा राज्य चौकसी ब्यूरो को विस्तृत जांच हेतु सौंपी गई थी। शेष शिकायतों में से अधिकांश विभागीय प्रकृति के आरोप से सम्बन्धित होने के कारण सम्बन्धित विभागों को उचित कार्यवाही हेतु भेज दी गई थी। कुछ शिकायतों में आरोप अस्पष्ट तथा निराधार होने के कारण फाईल कर दी गई थी।

वर्ष 2016–17 में राज्य चौकसी ब्यूरो से 68 जांच रिपोर्ट्स चौकसी विभाग में प्राप्त हुई जिनका चौकसी विभाग के स्तर पर परीक्षण किया गया। इनमें से 35 जांचों में आरोप सिद्व होने पाए गए तथा 33 मामले निस्सार पाये गये। राज्य चौकसी ब्यूरो से 99 छापे मारने की रिपोर्ट इस अवधि में चौकसी विभाग में प्राप्त हुई ।

इसके अतिरिक्त राज्य के 677 राजपत्रित अधिकारियों के पक्ष में पैंशन से सम्बन्धित शोधन पत्र जारी किये गये।

रिपोर्टाधीन वर्ष में न्यायालय द्वारा 52 मामलों पर निर्णय दिया गया जिसके फलस्वरुप 7 अधिकारियों, 63 कर्मचारियों व 21 अन्य व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया तथा उन्हें सजा दी गई, जिसकी सूची परिशिष्ट–IV पर है।

(II) राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा

राज्य चौकसी ब्यूरो का कार्य राज्य सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा गैर–सरकारी व्यक्तियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार एंव अनियमित्ताओं सम्बन्धी शिकायतों की जांच करना है। राज्य चौकसी ब्यूरो द्वारा राज्य में चल रहे सरकारी निर्माण कार्यों की जांच करके तकनीकी रिपोर्टस भी सरकार को भेजी जाती है। इसके अतिरिक्त भ्रष्ट अधिकारियों/कर्मचारियों पर छापे मारकर रंगे हाथों पकडना, जांचों/रेड़ के आधार पर मुकदमें दर्ज करना व न्यायालय में उनकी पैरवी करना तथा विजीलैंस क्लीयरैंस जारी करने का कार्य भी राज्य चौकसी ब्यूरो द्वारा किया जाता है।

राज्य चौकसी ब्यूरो, एक महानिदेशक के मार्गदर्शन में कार्य करता रहा है। महानिदेशक के पद पर भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग के अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। उन्हें परिशिष्ट–I में अंकित अमले का सहयोग प्राप्त था। वर्ष के आरम्भ में चौकसी ब्यूरो के पास 208 जांचें जांच हेतु लम्बित थी। रिपोर्टाधीन वर्ष में चौकसी ब्यूरो दवारा सरकार के आदेशानुसार व अपने स्तर पर कुल 117 नये मामले जांच हेतु दर्ज किये गये, जिनका विवरण परिशिष्ट–II पर दिया गया है। इस तरह कुल जांचों की संख्या 325 हो गई, इन जांचों में से उन्होंने इस अवधि में 68 शिकायतों की जांच रिपोर्ट पूर्ण करके सरकार को भेजी गई। इनमें से 35 जाचों में आरोप सारपूर्ण रहे जबकि 33 मामले निस्सार पाये गये।